राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

8 अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एम.एच./2020/ 5697 भोपाल, दिनांक 10/07/2020

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
   मध्य प्रदेश

विषय : सेक्टर स्तर तथा HRP क्लीनिक पर गर्भवती महिलाओं की जांच एवं प्रबंधन के संबंध में।

संदर्भ : पत्र कमांक /एन.एच.एम./एम.एच./2019/4190/दिनांक 03.09.2019
पत्र कमांक /एन.एच.एम./एम.एच./2020/5245/दिनांक 03.03.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश में मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम किये जाने हेतु गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जॉच प्रदायगी को सुदृढ किया जा रहा है। मातृ स्वास्थ्य के सूचकांकों से परिलिक्षित होता है कि समस्त गर्भवती महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान चिकित्सक से जॉच नही की जाती है, जिससे गर्भावस्था के दौरान जटिलताओं का चिन्हाकंन एवं समुचित प्रबंधन में विलम्ब के कारण महिला अथवा नवजात की मृत्यु हो जाती है। अतः गर्भवती महिलाओं में जटिलता की पहचान एवं समय पर उचित प्रबंधन किये जाने हेतु नवीन रणनीति के अंतर्गत (Batching & Matching) समस्त गर्भवती महिलाओं की जॉच सेक्टर मेडीकल ऑफीसर तथा कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर द्वारा की जायेगी तथा चिन्हांकित हाई रिस्क गर्भवती को स्त्री रोग विशेषज्ञ/पीजीएमओ द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सिविल अस्पताल /जिला अस्पताल मेंहाई रिस्क क्लीनिकमें जांच एंव उपचार प्रदान किया जायेगा। इस हेतु संदर्भित पत्रों के माध्यम से दिशानिर्देश जारी किये गये है।

समस्त पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की तथा चिन्हांकित हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को प्रोटोकॉल अनुसार जॉच एवं उपचार सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर से MP ANMOL/MPRCH पोर्टल से मॉनिटरिंग की जायेगी। इस हेतु ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर ए.एन.एम. द्वारा प्रदाय की गई सेवाओं की जानकारी MP ANMOL एप में तथा संस्था स्तर पर चिकित्सक द्वारा प्रदाय की गई सेवाओं की जानकारी MP RCH पोर्टल पर अद्यतन की जानी है। समस्त गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व सेवाओं को प्रदाय करने हेतु जिलों द्वारा निम्न व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है :

समुदाय स्तर :

- ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस ए.एन.एम. द्वारा प्रत्येक **मंगलवार एवं शुक्रवार** को ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के माइक्रोप्लान अनुसार गर्भवती महिलाओं का पंजीयन एवं जॉच किया जाना है।
- सेवा प्रदान करने के पश्चात समस्त जानकारी MP ANMOL एप में दर्ज किया जायेगा।

संस्था स्तर पर :

1. सेक्टर स्तर एएनसी क्लीनिक
   - सेक्टर चिकित्सा अधिकारी एवं कम्यूनिटी हेल्थ वर्कर द्वारा प्रत्येक **सोमवार एवं गुरूवार** को ए.एन.सी क्लीनिक का आयोजन किया जायेगा।
   - समस्त सामान्य गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के 26 सप्ताह के पश्चात प्रसव पूर्व तीसरी या चौथी जॉच चिन्हांकित हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की जॉच, उपचार तथा उच्च संस्था पर रेफर करने का दायित्व सुपरवाइजर एवं क्म्यूनिटी हेल्थ वर्कर का होगा।
   - सेक्टर स्तर पर प्रदाय की गई सेवाओं की जानकारी MP RCH Portal पर दर्ज की जानी है।

- प्रत्येक सेक्टर मेडीकल ऑफिसर द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के सहयोग से अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्रामों की उप स्वास्थ्य केन्द्रवार उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों की ANC Clinic का माइक्रोप्लान तैयार कर समस्त ए.एन.एम. के साथ साझा किया जाना है। जिसके आधार पर ए.एन.एम. को क्षेत्र की गर्भवतती महिलाए जॉच हेतु सेक्टर स्तर पर ला सके।

2. हाईरिस्क क्लीनिक

- **शुक्रवार** को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल अस्पताल तथा जिला अस्पताल में हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की जॉच स्त्रीरोग विशेषज्ञ/पी.जी.एम.ओ द्वारा की जायेगी
- समस्त विकासखण्ड पर हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं हेतु आयोजित एएनसी क्लीनिक का सेक्टर स्तरीय माइक्रोप्लान तैयार किया जाना है जिसका दायित्व विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक का होगा।
- विकाखण्ड की हाई रिस्क क्लीनिक मे निम्नानुसार स्त्रीरोग विशेषज्ञ/पी.जी.एम.ओ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये है :

1. **जिन जिलों में जिला अस्पताल एवं विकासखण्ड स्तर पर स्त्री रोग विशेषज्ञ/पीजीएमओ पदस्थ हो** – विकास खण्ड पर पदस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ/पीजीएमओं को अन्य समीपस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शुक्रवार एवं पी.एम.एस.एम.ए. दिवस के दिन हाई रिस्क गर्भवती महिला की जांच एवं उपचार प्रदान करेगी तथा जिला अस्पताल मे पदस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ/पीजीएमओ अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हाई रिस्क महिलाओं की जांच एवं उपचार प्रदान करेगें।
2. **जिन जिलो में 2 से ज्यादा स्त्री रोग विशेषज्ञ/पीजीएमओ पदस्थ हो** – हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की जाचं एवं उपचार के लिये स्त्री रोग विशेषज्ञ/पीजीएमओ की ड्यूटी प्रत्येक शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगाई जानी हैं। इसके अंतर्गत पी.एम.एस.एम.ए. दिवस शामिल की जाये, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं पीजीएमओ के मध्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं शुक्रवार को निर्धारित किया जाना है ताकि एक निश्चित दिवस पर गर्भवती महिला को सेवाऐं उपलब्ध हो सके। यह सुनिश्चित किया जाये की प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर माह में एक दिन स्त्री रोग विशेषज्ञ/पीजीएमओ द्वारा हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की जांच की जा सके।
3. **जिन जिलों में केवल 1–2 स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं पीजीएमओ पदस्थ हो** – हाई रिस्क गर्भवती महिला की जांच एवं उपचार प्रत्येक शुक्रवार को जिला अस्पताल में की जायेगी।

अन्य व्यस्थाऐं

- जिला स्वास्थ्य अधिकारी –1 एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुनिश्चित करेंगें की प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर माह में एक शुक्रवार को स्त्री रोग विशेषज्ञ/पीजीएमओ हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की जांच एवं उपचार किया जा रहा है।
- सोमवार गुरुवार एवं शुक्रवार को लब एवं फार्मेसी मे सेवाओ की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना है।
- समस्त गर्भवती महिलाओं की blood grouping & typing हिमोग्लोबिन, HIV, HBsAg, VDRL, OGTT, TSH, मलेरिया की जांच बुखार होने पर तथा malaria endemic area में समस्त गर्भवती महिलाओं की जांच किया जाना अनिवार्य हैं।
- माडरेट एनीमिक गर्भवती महिलाओं को आयरन सुकोज सेक्टर एएनसी क्लीनिक दिवस (सोमवार एवं गुरुवार) पर प्रदाय किया जाये
- **सिवियर एनीमिक गर्भवती महिलाओं को ब्लड ट्रांसफ्युजन हाई रिस्क क्लीनिक दिवस (शुकवार) पर सीमॉक संस्था पर प्रदान किया जाये।**
- समस्त गर्भवती महिलाओं की प्राटोकॉल अनुसार सोनोग्राफी गर्भावस्था के 18–19 सप्ताह मे की जाये। हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की स्त्रीरोग विशेषज्ञ के परामर्श अनुसार सोनोग्राफी हाईरिस्क क्लीनिक के दिन की जाये। (एनएचएम के पत्र क्रमांक/एमएच/2020/5675, दिनांक 06.07.2020)

- हाई रिस्क गर्भवती महिला की स्थिति अनुसार स्त्री रोग विशेषज्ञ के परामर्श पर **सलंग्न सूची** अनुसार अन्य जांच सुविधा संस्था पर उपलब्ध करायी जानी है ।
- संस्था स्तर पर प्रदाय की जा रही जांच एवं डायग्नोस्टीक की जानकारी संस्था के एएनसी रजिस्टर में संधारित की जानी है तत्पश्चात एमपीआरसीएच पोर्टल पर अद्यतन करने का दायित्व डाटा एन्ट्री ऑरपेटर का होगा।
- हाई रिस्क गर्भवती महिला को जिला अस्पताल/विकासखण्ड स्तर पर जांच एवं उपचार हेतु लाने के लिये फ्री रेफरल ट्रांसपोर्ट के वाहनों का उपयोग किया जाना हैं इस हेतु ए.एन.एम. द्वारा एकीकृत कॉल सेन्टर पर फोन कर गाडी की व्यवस्था की जायेगी।
- प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित एच.आर.पी. क्लीनिक की रिपोर्ट आर.सी.एच. पोर्टल पर दर्ज करने का दायित्व विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का रहेगा।
- सोमवार एवं शुक्रवार को सेक्टर स्तर पर आयोजित ए.एन.सी. क्लीनिक की रिपोर्ट आर.सी.एच. पोर्टल पर दर्ज करने का दायित्व पदस्थ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का रहेगा।
- जिला अस्पताल पर आयोजित ए.एन.सी. क्लिनिक की आर.सी.एच. पोर्टल पर दर्ज करने का दायित्व ए.एन.सी. क्लिनिक के डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रहेगा।
- विकासखण्ड की स्त्रीरोग विशेषज्ञ/पीजीएमओ द्वारा अन्य विकासखण्ड की संस्था पर शुक्रवार के दिन ए.एन.सी. क्लिनिक आयोजित करने हेतु मोबिलीटी का प्रावधान प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) 1.1.1.1 (A.1.5.4.2.a) के अंतर्गत किया गया है।
- जिला अस्पताल की स्त्रीरोग विशेषज्ञ/पीजीएमओ द्वारा विकासखण्ड स्तर पर शुक्रवार के दिन ए.एन.सी. क्लिनिक के आयोजन हेतु मोबिलिटी का प्रावधान मातृ स्वास्थ्य की गतिविधि क्रमांक 1.1.1.6 (A.1.6.6.a) के अंतर्गत किया गया है। मोबिलिटी हेतु वाहन की व्यवस्था जिले के अनुमोदित दर पर जानी है।
- सामान्य गर्भवती महिलाओं को सेक्टर स्तर पर जॉच हेतु मोबिलाईज करने का दायित्व आशा कार्यकर्ता का रहेगा। आशा कार्यकर्ता द्वारा ए.एन.सी. क्लीनिक के एक दिवस पूर्व अपने ग्राम की तीसरी एवं चौथी जॉच वाली गर्भवती महिलाओं को जॉच हेतु जाने के लिये जानकारी प्रदान करेगी।
- हाई रिस्क गर्भवती महिला को सेक्टर स्तर पर जॉच हेतु भेजने का दायित्व ए.एन.एम. का रहेगा ए.एन.सी. क्लीनिक के एक दिवस पूर्व ए.एन.एम. द्वारा समस्त हाई रिस्क गर्भवती महिला को सूचित किया जायेगा।
- सेक्टर स्तर पर सोमवार एवं गुरुवार को आयोजित किये जाने वाले ए.एन.सी. क्लिनिक का उपस्वास्थय केन्द्रवार माइक्रोप्लान तथा विकासखण्ड स्तर पर स्त्रीरोग विशेषज्ञ/पीजीएमओ के द्वारा शुक्रवार को आयोजित किये जाने वाले हाई रिस्क गर्भवती महिला के जांच एवं उपचार हेतु सेक्टरवार हाई रिस्क क्लिनिक का माइक्रोप्लान दिनांक 15.07.2020 तक प्रेषित किया जाये।

आपको निर्देशित किया जाता है की उपरोक्तानुसार समस्त जिला चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/सिविल अस्पताल में हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की जांच एव उपचार तथा समस्त सेक्टर स्तर सेक्टर चिकित्सा अधिकारी एवं कम्युनिटी हैल्थ ऑफीसर द्वारा एएनसी क्लीनिक का आयोजन किया जा सुनिश्चित करें एवं प्रत्येक दिवस की रिपोर्टिंग आर.सी.एच पोर्टल पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

(छवि भारद्वाज)
मिशन संचालक, एन.एच.एम.
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./एन.एच.एम./एम.एच./2020/ 5698

प्रतिलिपि– सूचनार्थ

भोपाल, दिनांक 10/07/2020

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ, भोपाल मध्यप्रदेश।
4. अपर मिशन संचालक एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
5. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश
6. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐ, मध्यप्रदेश।
7. समस्त क्षेत्रीय आएमएनसीएचए कोआर्डिनेटर एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक, एन.एच.एम.
मध्यप्रदेश